न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 09/2020

श्री रईस मोहम्मद पुत्र नन्ने खा निवासी ग्राम कुरेडी पोस्ट पासरोटिया तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलेक्ट्रेट टोक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15-7-2020**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू.अ.),शाखा कलेक्ट्रेट टोक को दिनांक 25.02.2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1- कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक कमांक अ 6/एफ 9( ) प्रा0जां0/विविध 15/8930 दिनांक 29.11.2016 के द्वारा प्रकरण में आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिसकी आदेश नकल दी जावे।

2- कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक कमांक भू.अ. 6/एफ 9 (37) प्रा0जा0 विविध/ 16/2724 दिनांक 24.5.2017 की नकल दी जावे। माननीय मुख्यमत्री के आदेश होने पर पुनः जाच करने हेतु आदेश की नकल दी जावे।

3- कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक कमांक भू.अ. 6/एफ 9(37) /प्रा0जा0 विविध/ 16/1053 दिनांक 03.03.2017 की नकल दी जावे। पुनः जांच चाही गयी थी जिसकी नकल दी जावे।

4- कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक कमांक एफ 9(37) प्रा0जा0 /टोंक/16/2591 दिनांक 25.04.2018 आदेश की नकल दी जावे।

5- प्रार्थीया मोहसीना द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्रों से तथ्यों की जानकारी की गई जैसा कि नोटिस कमांक 3834 दिनांक 28.6.2018 में अंकित नोटिस में किया गया मय प्रार्थना पत्र सहित नकल दी जावे। एवं कारण बताओं नोटिस की जवाब कमांक 7199 दिनांक 17.12.2018 की नकल दी जावे।

6- नोटिस कमांक 3834 दिनांक 28.6.2018 में श्रीमान आर.सी. ढेनवाल जिला कलेक्टर (भू.अ.) द्वारा आप द्वारा वजीर मोहम्मद के वारीसान के नाम पूर्व में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2654 का तथ्य छिपाकर नामान्तरकरण संख्या 2666 दिनांक 25.10.2004 को भरकर इसी दिनांक को तहसीलदार से स्वीकृत कराया गया तथ्य सहित इस संम्बध की प्रत्रावली की नकल दी जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

7– भू.अ. निरीक्षक पद से नायब तहसीलदार के पद पर डी.पी.सी. मे चयनीत करने के लिये सूची राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी गयी थी उसकी नकल दी जावे। (वर्ष 2019–2020 में)

8–नायब तहसीलदार चयनीत किये गये उनको तहसील एवं उप तहसील मे नियुक्ति दी गयी राजस्व मण्डल अजमेर से जारी की गयी सूची उसकी नकल दी जावे । वर्ष 2019–2020

9– प्राथमिक जांच पत्रावली की सम्बधीत शिकायत विरूद्व तत्कालीन पटवारी प्रहलाद सिंह पटवार मंडल कस्बा शर्की टोंक वर्तमान नायब तहसीलदार उपतहसील डिग्गी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट की नकल दी जावे। जो एडीएम साहब के द्वारा दी गई।

10– आदेश क्रमांक 8930 दिनांक 29.11.2016 से 2018 तक से की गई थी। जिसमें चार्जशीट विरूद्व श्री प्रहलाद सिंह पटवारी मंडल कस्बा शर्की टोंक वर्तमान नायब तहसीलदार उपतहसील डिग्गी के विरूद्व की नकल दी जावे। जिसमें तथ्य आरोप अंकित किये गये है।

11– मेमोरेण्डम श्री प्रहलाद सिंह पटवारी मंडल कस्बा शर्की टोंक को दिया गया हो तो उसकी नकल दी जावे।

12– स्टेटमेन्ट ऑफ एलिगेशन विरूद्व श्री प्रहलाद सिंह पटवारी मंडल कस्बा शर्की टोंक को दी गयी नकल दी जावे। जिसमें आरोप तथा नोटिस क्रमांक 3834 में अंकित गये है।

13– कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक क्रमांक भू.अ. 6/एफ 9 (37) /प्रा0जा0 विविध/ 16/3834 दिनांक 28.06.2018 में पूर्व में खोले गये नामान्तकरण संख्या 2654 का तथ्य छिपाकर नामान्तकरण संख्या 2666 दिनांक 25.10.2004 को भरकर इसी दिनांक को तहसीलदार से स्वीकृत कराया गया है से रिकॉर्ड से प्रमाणित किया गया उसकी नकल दी जावे। शिकायत प्रार्थना पत्र जिसमें आरोपों के लेख सहित किया गया तथ्य व आरोपों की नकल दी जावे। जैसा कि नोटिस में लिखा गया है।

14– कार्यालय तहसीलदार भू अभिलेख से जारी किया गया था आदेश क्रमांक एल आर/ 3170 दिनांक 07.07.2004 विषय मृतक वजीर मोहम्द पुत्र ईद मोहम्मद निवासी कालीपलटन टोंक के वारिसान के नामान्तरकरण करने के क्रम में किये गये आदेशों की नकल दी जावें।

15.–कार्यालय तहसीलदार भू अभिलेख आदेश क्रमांक एल आर/ 6065 दिनांक 25.10.2004 विषय मृतक वजीर मोहम्द पुत्र ईद मोहम्मद निवासी कालीपलटन टोंक के वारिसान के नामान्तरकरण करने के क्रम में प्रार्थना पत्र खाजू खां पुत्र वजीर मोहम्मद निवासी कालीपलटन टोंक के नामान्तरकरण भरने के आदेश नकल दी जावे।

16. पी.यू.सी. पत्रावली से प्रार्थना पत्र खाजू खां पुत्र श्री वजीर खां निवासी कालीपलटन टोंक बाबत मृतक वजीर मोहम्मद की आराजियात का दाखिल खारिज खोलने बाबत में दिनांक 18.10.2004 को निर्णय किया गया तत्कालीन तहसीलदार श्री रामस्वरूप चौहान द्वारा पत्रावली की जो नोट मूल पत्रावली मोहसीना बनाम तहसीलदार टोंक की नकल दी जावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner